INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान डीप्टी जेलर

राजस्थान लोक सेवा आयोग

भाग - 3

राजव्यवस्था + भूगोल + अर्थव्यवस्था (राजस्थान)

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**राजस्थान डिप्टी जेलर**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**राजस्थान डिप्टी जेलर" की** परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें /*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/cevyjl

Online Oder करें - https://shorturl.at/PvNxS

मूल्य :	**संस्करण : नवीनतम**

क्र. सं	अध्याय	पेज
	राजस्थान की राजव्यवस्था	
1.	राज्यपाल	1
2.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	7
3.	राज्य विधान सभा	13
4.	उच्च न्यायालय	20
5.	राजस्थान लोक सेवा आयोग	27
6.	राजस्थान में जिला प्रशासन	28
7.	राज्य मानवाधिकार आयोग	32
8.	लोकायुक्त	33
9.	राज्य निर्वाचन आयोग	35
10.	राज्य सूचना आयोग	37
11.	लोकनीति	39
12.	विधि की अवधारणा	41
13.	नागरिक अधिकार – पत्र घोषणापत्र	45
14.	महिला एवं बाल अपराध	47
	राजस्थान का भूगोल	
1.	सामान्य परिचय	56
2.	भौतिक प्रदेश	74
3.	नदियाँ एवं झीलें	84
4.	राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाएँ	104
5.	राजस्थान की जलवायु	111
6.	मृदा संसाधन	121

7.	वन संपदा एवं वन्य जीव अभ्यारण्य	125
8.	राजस्थान में कृषि	134
9.	राजस्थान में खनिज संसाधन	141
10.	जनसंख्या – वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात	150
11.	प्रमुख उद्योग	156
12.	जैव विविधता एवं इनका संरक्षण	160
राजस्थान की अर्थव्यवस्था		
1.	अर्थव्यवस्था का वृहत् परिदृश्य	165
2.	राजस्थान कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दे	179
3.	राजस्थान में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र	184
4.	अभिवृद्धि, विकास एवं नियोजन	193
5.	गरीबी एवं बेरोजगारी	197
6.	विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ	204

राजस्थान की राजव्यवस्था

अध्याय – 1

राज्यपाल

प्रिय छात्रों, इस अध्याय के अंतर्गत हम राजस्थान की राजव्यवस्था का अध्ययन करेंगे और समझेंगे की एक राज्य की राजव्यवस्था एक देश की व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है और किस प्रकार समान है ।

इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग राज्य का विधानमंडल, उच्च न्यायालय, राज्य महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, पंचायतीराज इत्यादि अध्यायों को पढ़ेंगे ।

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 153** के तहत् प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। **लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।**
- **अनुच्छेद 154** के तहत् राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन **अनुच्छेद 163** के तहत् राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है अर्थात् राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते है जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।
- **राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान ' कनाडा ' से लिया गया है।**

संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गई जो निम्न है –

(i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।

(ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिश

सरकारिया आयोग

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

सिफारिश –

- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीती में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।
- राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में गठित। वर्ष 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

सिफारिश –

- इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में **कॉलेजियम व्यवस्था** होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

पूंछी आयोग

गठन-2007 रिपोर्ट- 2010 अध्यक्ष- मदनमोहन पूंछी

सिफारिश –

- केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु गठित पूंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया।
- राज्यपाल को किसी भी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए।
- राज्य की विधानसभा में पारीत विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह में निर्णय लेना चाहिए ।

राजमन्नार आयोग

गठन-1969 रिपोर्ट- 1971 अध्यक्ष- डॉ. वी.पी. राजमन्नार

NOTE- सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग व पूंछी आयोग का सम्बन्ध राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र-राज्य संबंधो से है ।

अनुच्छेद 156 इस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि/ कार्यकाल का उल्लेख किया गया है।

अर्थात् राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा।

- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है।
- राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।
- राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले।
- **राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है ।**

अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद योग्यताएँ/ अर्हताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।(जन्म से आवश्यक नहीं)
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. और वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य हो।

अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की सेवा शर्तें व वेतन भत्ते

1. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।
2. यदि संसद या विधानामंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल का पद धारण करने की तिथि से वह पद रिक्त मान लिया जाएगा।

- राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद (संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित) करती है।
- राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से जबकि पेंशन भारत की संचित निधि में से दी जाती है।
- राज्यपाल का वेतन ₹350000 है जो कर मुक्त होता है।
- पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है।
- यदि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है (**7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा**) तो भी उसे वेतन । पद का होगा परंतु इसका वहन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 159 राज्यपाल पद की शपथ

- राज्यपाल या राज्यपाल पद के कार्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल पद की या राज्यपाल पद के कार्य निर्वहन की शपथ **संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा** दिलाई जाती है **राज्यपाल संविधान के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण के शपथ लेता है।**

NOTE :- राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची- 3 में नहीं मिलता हैं।

अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन

राज्यपाल पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य लरने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाएगी जैसे- राज्यपाल पद के खाली होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल पद का कार्यों का निर्वहन करना।

राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां -

I. कार्यपालिका संबंधी कार्य -

- **अनुच्छेद 166** के तहत् राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं अर्थात् राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है।
- **अनुच्छेद 164** के तहत् राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें **पद एवं गोपनीयता** की शपथ दिलाता है।
- **राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे-** अनुच्छेद 165 के तहत् महाधिवक्ता, अनुच्छेद 316 के तहत् राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। (महत्वपूर्ण यह कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त जरूर करता है लेकिन उनको उनके पद से हटा नहीं सकता। लोकसेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निरर्हता ओंके होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। (अनुच्छेद 317)
- अनुच्छेद 217 के तहत् राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- अनुच्छेद 233 के तहत् जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात करता है
- अनुच्छेद 167 के तहत् राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य की विधायी व प्रशासनिक सूचना मुख्यमंत्री से प्राप्त करें।
- अनुच्छेद 356 के तहत् राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।
- अनुच्छेद 243 **K**-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 **ZA**- नगर निकायों के लिए राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- अनुच्छेद 243 **I**-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 **Y**- नगर निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- राज्यपाल सभी राज्य पोषित सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों की नियुक्त करता है।
- राज्य सुचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सुचना आयोग व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल **'राजस्थान रेडक्रास सोसायटी'** व **'पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र- उदयपुर'** का अध्यक्ष होता है
- लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

2. **विधायी शक्तियां –**

- अनुच्छेद 168 के तहत् राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधानपरिषद् तीनों शामिल होते हैं अतः राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है।
- **अनुच्छेद 171** के तहत् जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहाँ पर उच्च सदन (विधानपरिषद्) में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और समाजसेवा क्षेत्र के सामान्य जानकार या विशेषज्ञ हो।
- **अनुच्छेद 174** के तहत् राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विघटित कर सकता है।
- **अनुच्छेद 176** के तहत् राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित/ अभिभाषण कर सकता है। (विधानसभा के चुनाव पश्चात पहली बैठक तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को) राज्यपाल का यह अभिभाषण मंत्री परिषद् द्वारा तैयार किया जाता है।
- **अनुच्छेद 180** के तहत् राज्यपाल द्वारा जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है।
- **अनुच्छेद 192** के तहत् राज्यपाल विधानमंडल के किसी सदस्य को चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर अयोग्य घोषित कर सकता है लेकिन इस संदर्भ में राज्यपाल भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करेंगे।
- **अनुच्छेद 200** के तहत् राज्यपाल राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति देने, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है (धन विधेयक के अलावा) या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।
- **NOTE-राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उसपर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है।**
- किसी भी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत् राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किन्तु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुन; स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया हो, तब यदि राज्यपाल अनुमति देता है, तो वह अधिनियम अधिमान्य नही होगा |
- राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर पुनर्विचार के लिए विधान मंडल को लौटा दे तो ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। **(अनुच्छेद 201)**
- राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है । यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान करदें। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा
- **अनुच्छेद 213** जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अनुच्छेद 213 के तहत् अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहता है। अध्यादेश उसी विषय पर जारी किया जा सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है। अध्यादेश का वही महत्व है जो राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अध्यादेश राज्यपाल का स्व- विवेक नहीं है तथा अध्यादेश भी विधि होने के कारण न्यायपालिका में चुनौती देने योग्य है। अध्यादेश दो तरीकों से समाप्त किया जा सकता है- (i) निर्धारित अवधि में विधान मंडल द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाने पर (ii) राज्यपाल से कभी भी वापस ले सकते है।
- **अनुच्छेद 333** के तहत् राज्यपाल उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। **(NOTE- 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत् इस प्रावधान को निरसित के दिया गया है ।)**

3. **वित्तीय अधिकार –**

- **अनुच्छेद 202** के तहत् राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) प्रस्तुत करने के लिए कहता है।
- **अनुच्छेद 198** के तहत् विधान सभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही पेश किया जा सकता है।
- राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता।
- राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन तथा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है (अनुच्छेद 243 I- पंचायतीराज, अनुच्छेद 243 Y- नगर निकायों के लिए)
- **अनुच्छेद 267** के तहत् राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है तथा इस निधि से पैसे निकालने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है।

4. **न्यायिक अधिकार –**

- **अनुच्छेद 161** राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत वह किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलम्बन, विराम या परिहार कर सकता है या किसी दंडा देश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।
- यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिस के संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है । (अनुच्छेद 161)

नोट - राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्युदंड आदेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जबकि **राज्यपाल को मृत्युदंड आदेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है**

।इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) के दंडा देश के मामले में क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है।

5. **स्व- विवेकीय शक्तियाँ**

स्व- विवेकीय शक्तियाँ दो प्रकार की होती है-
(1) संविधान प्रदत्त अर्थात् जिनका संविधान में उल्लेख है।
(2) परिस्थितिजन्य स्वविवेक शक्ति अर्थात् जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है।

संविधान प्रदत्त स्वविवेक शक्ति	परिस्थितिजन्य स्वविवेक शक्ति
अनुच्छेद 163 के तहत् कुछ मामलों में राज्य मंत्रीपरिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है ।	यदि विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नही मिला है तो राज्यपाल स्वविवेक से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है।
अनुच्छेद 200 के तहत् किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है।	यदि कार्यकाल के दौरान किसी पदस्थ मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो अपने विवेक से अन्य को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है।
अनुच्छेद 356 के तहत् राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है।	मंत्रिपरिषद् भंग करने के संबंध में (विशेष परिस्थितियों में)
अनुच्छेद 167 के तहत् मुख्यमंत्री से सुचना लेने के संबंध में ।	
राज्य विधानसभा को भंग करने में	

6. **आपातकालीन शक्तियाँ**

- राज्यपाल को किसी भी प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं।
- जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जा सकता है तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर (अनुच्छेद 356) यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले अर्थात् राष्ट्रपति शासन लागू कर दें।
- **NOTE-एम.पी. शर्मा-** '' राज्यपाल को संकटकालीन शक्तियों से रहित राष्ट्रपति कहा है''।
- **NOTE-सरोजिनी नायडु-** ''राज्यपाल को सोनें के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी है''।
- **NOTE-दुर्गादास बसु-** '' थोड़े में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है , सिर्फ कुटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर''।

7. **विशेष दायित्व**

- **अनुच्छेद 371** के तहत् महाराष्ट्र व गुजरात के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निर्धारित किए गए हैं महाराष्ट्र राज्यपाल विदर्भ व मराठवाडा तथा गुजरात का राज्यपाल कच्छ व सौराष्ट्र के विकास के लिए विकास बोर्ड का गठन कर सकते हैं।
- **अनुच्छेद 371(A)** के तहत् नागालैंड में, **अनुच्छेद 371(F)** के तहत् सिक्किम में, **अनुच्छेद 371(H)** के तहत् अरुणाचल प्रदेश में **अनुच्छेद 371(J)** के तहत् कर्नाटक में कानून व्यवस्था बनाए रखना वहां के राज्यपाल के विशेष दायित्व है।

अनुच्छेद- 361 राज्यपाल / राष्ट्रपति/ राजप्रमुख के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां –

- अपने पद पर अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
- राज्यपाल की अवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जासकती।
- जब वह अपने पद पर तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।
- राज्यपाल का पदग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सिविल कार्यवाही करने से पहले प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है- (i) उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। (ii) सुचना में पक्षकारको अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति इत्यादि का विवरण देना होता है।

राजस्थान में राज्यपाल

- राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे।
- राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण जी थे।
- 30 मार्च,1949 – 31 अक्टूबर, 1956 तक राजस्थान में राजप्रमुख का पद था। इस पद पर जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह-II को नियुक्त किया गया जो राजस्थान के पहले राज्यप्रमुख थे जिन्हें राज्यपाल के समकक्ष माना जाता है । 1 नवंबर, 1956 को संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में राज्यप्रमुख व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।
- राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी ,दूसरी महिला राज्यपाल श्रीमती प्रभाराव तथा श्रीमती मार्गेट अल्वा राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल थी।

लिए मजबूर किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना (धारा - 372) अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति, या गैर कानूनी संभोग, या किसी कानून के विरुद्ध और दुराचारिक काम में लाए जाने या उपयोग किए गए जाने के लिए उसको बेचता है या भाड़े पर देता, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी वेश्या या किसी व्यक्ति को, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो, बेचता है, भाड़े पर देता है तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचा है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।

वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना (धारा 373) अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति, या गैर कानूनी संभोग, या किसी कानून के विरुद्ध और दुराचारिक काम में लाए जाने या उपयोग किए जाने के लिए उसको खरीदता है या भाड़े पर देता है, 10 वर्ष जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।

इस अधिनियम के अंदर दिए गए सभी अपराध संज्ञेय हैं।

इस अधिनियम के अंदर दिए गए अपराध के दोषी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी या उसके निर्देश के बिना, वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा व पुनर्वास) बिल, 2018 महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई, 2018 को लोकसभा में यह बिल पेश हुआ जो 26 जुलाई, 2018 को एक सदन में पारित हो गया। एक सदन में पारित इस बिल में सभी तरीकों से तस्करी की जांच करने के लिए और तस्करी पीड़ितों के बचाव, सुरक्षा पुनर्वास के नियम स्थापित करने का प्रावधान है।

बालकों से संबंधित अपराध

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 -16 के अनुसार भारत में बच्चों के प्रति होने वाले अपराध जैसे बाल श्रम, बाल व्यापार, अपहरण, शारीरिक - मानसिक हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार आदि के मामलों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। ये अपराध घर, स्कूलों, अनाथालयों, आवास गृहों, सड़क, कार्यस्थल, जेल, सुधार गृह आदि किसी जगह पर किसी के भी द्वारा हो सकते हैं। बालकों के साथ अपराध करने वाला, जान - पहचान से लेकर अनजान तक कोई भी हो सकता है।

बाल संरक्षण के लिए बनाए गए कानून निम्नलिखित हैं:-

बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक से किसी भी प्रकार का खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य कराना संज्ञेय अपराध है। इनके हित के लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया है। श्रम मंत्रालय में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सीआईआरएम मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय है और इसे मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) सीएलसी (सी) संगठन के नाम से भी जाना जाता है। सीआईआरएम के प्रमुख आयुक्त (केन्द्रीय) है। इसके अतिरिक्त मौजूदा विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड भी गठित किया गया है।

बाल श्रम के ऐसे केस जिसमें बच्चों के बंधुआ मजदूर के सामान स्थिति में पाए जाने पर बाल श्रम से संबंधित अपराधों में केस प्रकरण को और मजबूत करने के लिए बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 को भी लगाया जाता है।

खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रमिक नियोजित कराएँ जाने पर धारा - 14 के अंतर्गत दोषी नियोजक को कम से कम 3 माह एवं अधिकतम 1 वर्ष का कारावास तथा कम से कम रुपए 10,000 एवं अधिकतम रुपए 20,000 से जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुसार बच्चों को दो श्रेणियों में बांटा गया है :-

भारतीय संसद ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कराने 18 वर्ष तक के किशोरों से खतरनाक क्षेत्रों में कार्य लेने के रोक के प्रावधान वाले बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) संशोधन विधेयक, 2016 को पारित किया था।

एक ऐसा व्यक्ति, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी की हो, लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, ऐसे बालक को किसी भी खतरनाक जोखिम वाले व्यवसायों या प्रक्रियाओं में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए और खतरनाक कार्य करने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए।

बाल श्रम से जुड़े अनुच्छेद

अनुच्छेद - 23: बालश्रम व मानव व्यापार का निषेध

अनुच्छेद - 21: खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति निषेध।

अनुच्छेद - 39: बालकों के विकास की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होगी।

अनुच्छेद – 21 A: 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार

बच्चों से सम्बन्धित भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ

धारा - 82 इस धारा के अनुसार 7 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले बालक द्वारा कोई भी किया गया अपराध, अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। क्योंकि कि इस वर्ष तक के बच्चे की मानसिक क्षमता इतनी व्याप्त नहीं होती कि वह समझ पाए कि अपराध क्या होता है।

धारा- 83 : इस धारा के अनुसार 0 से 12 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों द्वारा यदि कोई अपराध किया जाए तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा । यदि बालक मानसिक रूप से विकृत हैं।

धारा - 305 : किसी भी बालक द्वारा आत्महत्या व आत्मदाह का प्रयास करना अपराध माना जाएगा।

प्रावधान –

सजा 7 वर्ष

धारा – 326 : इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ तेजाब, हथियार आदि से हमला करना अपराध माना जाएगा।

प्रावधान –

जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत् अपराध किया है । उस व्यक्ति को इस संहिता के अंतर्गत कारावास की सजा प्रावधान किया गया है या फिर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है, या इसके अलावा साधारण कारावास की सजा हो सकती है, जिसकी समय सीमा को 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि न्यायालय आरोप की गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार निर्धारित करता है।

धारा-326 A इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि जानबुझकर तेजाब या किसी अन्य रासायनिक पदार्थ से हमला करता है तो कानून संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार आजीवन कारावास का प्रावधान है ।

धारा-326 B : यदि किसी व्यक्ति द्वारा तेजाब इत्यादि से हमला करने का प्रयास किया जाता है तो निम्न प्रावधान है – कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष सजा का प्रावधान है ।

धारा – 369 : इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी शिशु का अपहरण इस उद्देश्य से किया गया हो कि शिशु का कोई भी शारीरिक अंग को चुराया जाए तो यह अपराध होगा जिसके लिए निम्न प्रावधान है ।

कम से कम 1 वर्ष तथा अधिक से अधिक सजा 5 वर्ष तक के सजा

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भारत सरकार का अधिनियम है, जिसे समाज में बाल विवाह को रोकने हेतु लागू किया गया है ।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के धारा (B) के तहत् यदि कोई विवाहित जोड़े में से कोई भी एक नाबालिग है, तो इसे बाल विवाह माना जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 से कम उम्र के लड़के को इस अधिनियम के तहत् नाबालिग माना गया है। इसका अर्थ है कि विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित किया है।

केन्द्र सरकार द्वारा 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके और उसके स्थान पर 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाकर हाल के वर्षों में इस प्रथा को रोकने की दिशा में काम किया गया है। इसके अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ कठोर उपाय किये गये हैं जो बाल विवाह कि इजाजत देते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। यह कानून नवम्बर 2007 में प्रभावी हुआ ।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

इस अधिनियम के तहत् 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा ।

इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है ।

बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष तथा बाल विवाह को संपन्न करने वालों को इस अधिनियम की धाराओं के तहत् 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है ।

इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे ।

इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को अमान्य घोषित करने का प्रावधान है ।

यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम (पोक्सो एक्ट), 2012- बालकों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों के समुचित उपचार एवं नियंत्रण के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट) लाया गया। 14 नवम्बर, 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट) लागू किया गया।

इस कानून में बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए पुलिस के स्तर पर शिकायत दर्ज कराने तथा न्यायायिक प्रक्रिया को बाल मैत्रीपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। इस कानून के द्वारा न सिर्फ बच्चों के प्रति होने वाले कई तरह के यौन लैंगिक अपराधों को कानून के दायरे में लाया गया है, साथ ही इन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से बच्चों के प्रति यौन हमला, यौन शोषण / उत्पीड़न, अश्लीलता गोपनीयता आदि को शामिल किया गया है। बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों के प्रति माता पिता, स्कूल, पड़ोसी, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, मीडिया, सामाजिक एवं सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 3)

एक व्यक्ति जब अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बच्चे की योनि, मुँह मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बच्चे से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है तो यह प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है, जो की अपराध है ।

किसी वस्तु या शरीर के ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बच्चे की योनि मूत्रमार्ग या गुदा में डालता

है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है या

बालक के लिंग योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, बालक के साथ ऐसा करवाता है। तो यह प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है, जो की अपराध है ।

प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 4)

इस अधिनियम की धारा 4 में लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान करती है । यदि कोई प्रवेशन लैंगिक आघात करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

गुरुतर प्रवेशन लैंगिक (धारा 5)

यदि कोई लोक सेवक होते हुए बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।

जब कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देख – रेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए, ऐसे जेल या प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है ।

लैंगिक हमला (धारा 6)

धारा 6 के अनुसार जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु वह आजीवन कारावास तक हो से दण्डित किया जायेगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।

लैंगिक हमला (धारा 7)

जब कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किये बिना शारीरिक अंतग्रस्त होता है, लैंगिक हमला कहा जाता है।

लैंगिक हमला (धारा 8) –

जो कोई व्यक्ति लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं किन्तु 5 वर्ष तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

लैंगिक उत्पीड़न (धारा 11)

कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जायेगा। किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई अंग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके ।

अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्ररूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है ।

बालक के शरीर के किसी अंग या लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का, इलेक्ट्रोनिक, फिल्म या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है ।

अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है ।

लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड (धारा 12)-

जो कोई भी किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए 9 (धारा 13) -

किसी बालक की जनेद्रियों का प्रदर्शन करना ।

किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में (प्रवेशन के साथ या उसके बिना) करना ।

किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना ।

वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा ।

लैंगिक उत्पीड़न (धारा 14) - जो कोई अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा या पश्चातवर्ति दोष सिद्धि की दशा में वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

अश्लील सामग्री का भंडारण

कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए किसी अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारकरण करेगा,

प्रावधान –

वह किसी भाँति के कारावास से जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

पोक्सो एक्ट 2012 को परिभाषा के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति नाबालिग है। अधिनियम बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की व्यापक रूप से पहचान करता है। यह प्रत्येक स्तर पर सभी बातों पर ध्यान देता है ताकि बच्चे के स्वास्थ्य, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

देश में बालिकाओं के साथ बढ़ती दरिंदगी को देखते हुए इस एक्ट में बदलाव किया गया, जिसके तहत् अब 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। सरकार के द्वारा रखे इस प्रस्ताव को अप्रैल 2018 में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गयी है।

यदि अभियुक्त एक किशोर है, तो उसके ऊपर मुकदमा किशोर न्यायालय अधिनियम, 2000 (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) में मुकदमा चलाया जायेगा। यदि पीड़ित बच्चा विकलांग है या मानसिक रूप या शारीरिक रूप से बीमार है, विशेष अदालत को उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुवादक, दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता ली जा सकती है। यदि अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो कि बाल अपराध कानून के अलावा अन्य कानून में भी अपराध है तो अपराधी को सजा उस कानून के तहत् होगी जो सबसे सख्त हो । यदि कोई पुलिस, वकील, सरकारी अधिकारी जिनके संरक्षण में बच्चा हो, अगर वो इस तरह की घटना में अभियुक्त पाया जाता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान।

किशोर न्याय (बालकों की देख - रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 –

सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया, जिसे सम्पूर्ण देश में 2000 से लागू किया गया । इस अधिनियम में 2006 व 2011 में कुछ संशोधन किये गए। 2015 में इस कानून में व्यापक परिवर्तन किये गए और यह एक नए स्वरूप में लागू किया गया। इस अधिनियम ने किशोर न्याय (बच्चों की देख – रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के स्थान लिया था । यह अधिनियम विशेष रूप से अनाथ, छोड़ दिए गए (माता-पिता ने जिनसे अपना कानूनी अधिकार छोड़ दिया है) के घरेलू और देश के अन्दर गोद लेने की व्यापक प्रक्रिया का प्रावधान करता है। गोद लेना एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कोई बच्चा अपने दत्तक माता-पिता का कानूनी बच्चा बन जाता है और इस प्रकार अपने जन्म देने वाले माता-पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है।

इस कानून में 112 धाराएँ हैं एवं इसे 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है। सन् 2016 में इसकी नियमावली बनायी गयी।

विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल संरक्षण पुलिस अधिकारी के कार्य

इस अधिनियम के अंतर्गत हर जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई (स्पेशल जुविनाइल पुलिस यूनिट एस. जे पी.ओ.) का गठन किया गया है। प्रत्येक जिले में गठित एस. जे. पी.यू एवं प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सी.डब्लू पी ओ.) से यह अपेक्षित है कि बच्चों के मामलों को अविलम्ब एवं उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें ।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान का भूगोल

अध्याय – 1

सामान्य परिचय

प्रिय छात्रों, राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करने के लिए हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे-

1. सामान्य परिचय
2. भौतिक स्वरूप

1. सामान्य परिचय -

प्रिय छात्रों, सामान्य परिचय के अंतर्गत हम राजस्थान के निम्न विषयों को विस्तार से समझेंगे-

(क) राजस्थान शब्द का उल्लेख
(ख) राजस्थान की स्थिति
(ग) राजस्थान का विस्तार
(घ) राजस्थान का आकार
(ङ) राजस्थान की आकृति

2. भौतिक स्वरूप -

इसी प्रकार भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम निम्न विषयों को विस्तार से समझेंगे –

(क) पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश
(ख) अरावली पर्वतीय प्रदेश
(ग) पूर्वी मैदानी प्रदेश
(घ) दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश

1. राजस्थान का परिचय

राजस्थान शब्द का अर्थ :- राजाओं का स्थान

(क) राजस्थान शब्द का उल्लेख :-

- राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख राजस्थानी साहित्य विक्रम संवत 682 ई. में उत्कीर्ण बसंतगढ़ (सिरोही जिला) के शिलालेख में मिलता है।
- मारवाड़ इतिहास के प्रसिद्ध लेखक **"मुहणोत नैणसी"** ने भी अपनी पुस्तक "नैणसी री ख्यात" में भी **राजस्थान शब्द का प्रयोग** किया है, लेकिन इस पुस्तक में यह शब्द भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ नहीं लगता। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र के लिए "मरुकान्तार" शब्द का उल्लेख किया है ।

जॉर्ज थॉमस पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने सन् 1800 ई. में इस भौगोलिक क्षेत्र को **"राजपूताना"** शब्द कहकर पुकारा था । इस तथ्य का वर्णन विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक "मिलिट्री मेमोरीज ऑफ़ मिस्टर थॉमस" में किया है ।

जॉर्ज थॉमस का परिचय :-

- जॉर्ज थॉमस एक आयरलैंड के सैनिक थे, जो कि 18 वीं. सदी में भारत आए और 1798 से 1801 तक भारत में एक छोटे से क्षेत्र (हिसार-हरियाणा) के राजा रहे ।
- इन्होंने राजस्थान को "राजपूताना" शब्द इसलिए कहा क्योंकि मध्यकाल एवं पूर्व आधुनिक काल में राजस्थान में अधिकांश राजपूत राजवंशों का शासन् था। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र को "राजपूताना" कहा जाता था।

विलियम फ्रैंकलिन :-

- विलियम फ्रैंकलीन मूल रूप से लंदन के निवासी थे। यह जॉर्ज थॉमस के घनिष्ट मित्र थे । उन्होंने 1805 ई. में जॉर्ज थॉमस के ऊपर "A Military Memories of George Thomas" नामक पुस्तक लिखी थी।
- अकबर के नवरत्नों में से एक मध्यकालीन इतिहासकार **"अबुल फजल"** ने इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए **"मरुभूमि"** शब्द का प्रयोग किया है।
- 1829 ईस्वी में **"कर्नल जेम्स टॉड"** ने अपनी पुस्तक **"एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान"** में सर्वप्रथम राजस्थान को रायथान, रजवाड़ा" या राजस्थान का नाम दिया था ।

कर्नल जेम्स टॉड :-

- कर्नल जेम्स टॉड 1818 से 1822 के मध्य मेवाड़ (उदयपुर) प्रांत में एक पॉलिटिकल (राजनीतिक) एजेंट थे तथा कुछ समय तक मारवाड़ रियासत के ब्रिटिश एजेंट भी रहे ।
- कर्नल जेम्स टॉड ब्रिटेन के मूल निवासी थे, उन्होंने अपने घोड़े पर घूम - घूम कर राजस्थान के इतिहास लेखन का कार्य किया इसलिए इन्हें **घोड़े वाले बाबा** के नाम से भी जाना जाता है।
- कर्नल जेम्स टॉड को **"राजस्थान के इतिहास का पितामह"** कहा जाता है।
- कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान" को "सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया" के नामक से भी जानते हैं
- इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार "गौरीशंकर –हीराचंद ओझा" ने किया था। इसे हिंदी में "प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण" कहते हैं।
- कर्नल टॉड सर्वेक्षण के सिलसिले में अजमेर और उदयपुर में कई जगह पर रहे थे- उनमें भीम नामक कस्बे में छोटा सा गाँव बोरसवाडा भी था- जो जंगलों और अरावली-पहाड़ों से घिरा हुआ है।
- उन्हें यह जगह पसंद आई तो उदयपुर के महाराजा भीम सिंह की सहमति से स्वयं के लिए बोरसवाडा में एक छोटा सा किला बनवा लिया।
- महाराज भीम सिंह ने कर्नल की सेवाओं से प्रभावित होकर गाँव का नाम टॉडगढ़ रख दिया, जो कालान्तर में टाडगढ़ कहलाने लगा। टाडगढ़ आज अजमेर जिले की एक तहसील का मुख्यालय है।

- कर्नल टॉड के किले में वर्तमान में सरकारी स्कूल चलता है

(ख) राजस्थान की स्थिति:- प्रिय छात्रों, राजस्थान की स्थिति को हम सर्वप्रथम पृथ्वी पर तत्पश्चात एशिया में और फिर भारत में देखेंगे।

(I) राजस्थान की स्थिति "पृथ्वी" पर: - पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति को समझने से पहले निम्नलिखित अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को समझना होगा –

(क) अंगारा लैंड / यूरेशियल प्लेट

(ख) गोंडवाना लैंड प्लेट

(ग) टेथिस सागर

(घ) पेंजिया

(ङ) पेंथालासा

नोट:- प्रिय छात्रों, कृपया ध्यान दें कि – आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी दो भागों में विभाजित थी।

1. स्थल
2. जल

- जैसा कि आज भी दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान में यदि हम स्थल मंडल को देखें तो हमें यह कई भागों में विभाजित दिखाई देता है, जैसे सात महाद्वीप अलग - अलग हैं।
- उनके भी कई देश एक - दूसरे से काफी अलग अलग है। लेकिन लाखों – करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण स्थलमंडल सिर्फ एक ही था।
- इसी **स्थलीय क्षेत्र को "पेंजिया"** के नाम से जानते थे तथा शेष बचे हुए भाग को **(जल वाले क्षेत्र को) "पेंथालासा"** के नाम से जानते थे।
- नीचे दिए गए मानचित्र से समझने की कोशिश कीजिए-

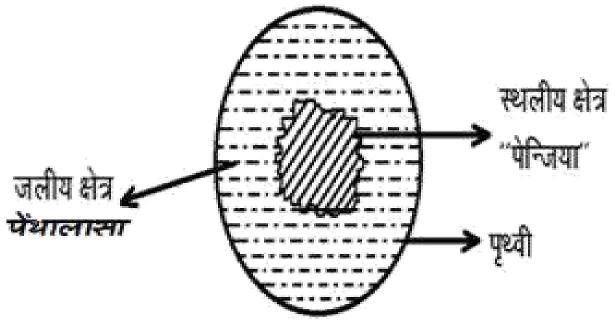

- प्रिय छात्रों, पृथ्वी परिक्रमण एवं परिभ्रमण गति करती है अर्थात् अपने स्थान पर भी (1 दिन में) घूमती है, और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी की इस गति की वजह से स्थल मंडल की प्लेटों में हलचल होने की वजह से पेंजिया (स्थलीय क्षेत्र) दो भागों में विभाजित हो गया जिसके उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ। इस **स्थलीय क्षेत्र को "अंगारा लैंड / यूरेशियन प्लेट"** के नाम से जानते हैं।

इसके दूसरे भाग (दक्षिणी) में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ, इस क्षेत्र को **"गोंडवाना लैंड"** 'प्लेट' के नाम से जानते हैं।

- दोनों प्लेटों के बीच में विशाल सागर था जिसे "टेथिस सागर" के नाम से जानते थे।
- इसको नीचे दिए गए मानचित्र की सहायता से समझते हैं-

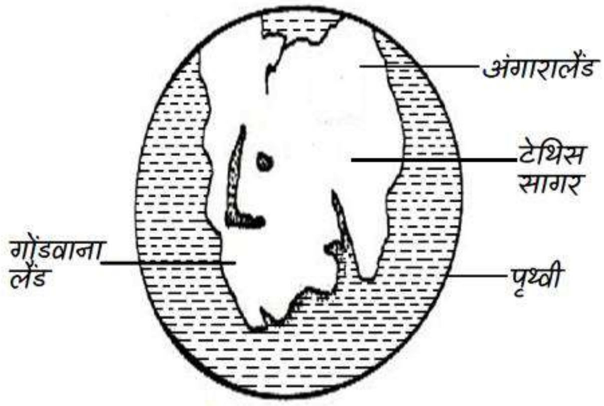

विशेष नोट:- राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें "टेथिस सागर" के अवशेष है तथा राजस्थान का मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र (अरावली पर्वतमाला) एवं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग "गोंडवाना लैंड" प्लेट के हिस्से है।

टेथिस सागर- टेथिस सागर को गोंडवाना लैंड प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है जो कि एक छिछला और संकरा सागर था, और इसी में जमा अवसादों के प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम स्वरुप अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हिमालय और आल्प्स जैसे महान पहाड़ों की रचना हुई है।

प्रिय छात्रों, अब तक हम अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर, पेंजिया तथा पेंथाल्जा का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर चुके है। अब हम **पृथ्वी पर राजस्थान की** स्थिति, का अध्ययन करते है। नीचे दिए गए मानचित्रों को ध्यान से समझिए-

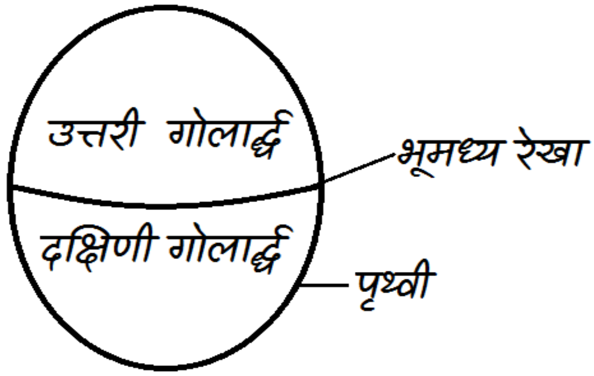

मानचित्र – 1

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय नहीं बनाते हैं।

21 जिले - (जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, जालौर, पाली, राजसमन्द, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, डीडवाना-कुचामन, सीकर, नागौर, सलुम्बर तथा गंगापुरसिटी)

अंतर्राज्यीय सीमा

- अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभाग – 9
- केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभाग – 7
- अंतर्राष्ट्रीय व अन्तर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले संभाग - 2 (बीकानेर व जोधपुर)
- ऐसा संभाग जो न तो अंतर्राष्ट्रीय व न ही अन्तर्राज्यीय सीमा बनाता है – 1 (अजमेर)
- सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग - उदयपुर
- अंतर्राज्यीय सीमा के नजदीक संभागीय मुख्यालय - भरतपुर
- अंतर्राज्यीय सीमा से दूर संभागीय मुख्यालय - जोधपुर
- अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा संभाग -जोधपुर
- अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग – बांसवाड़ा संभाग
- दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग -उदयपुर (चित्तौड़गढ़ के दो भाग)
- राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग - अजमेर
- राजस्थान अपने **वर्तमान स्वरूप 1 नवम्बर 1956** को आया।
- वर्तमान में राजस्थान में 7 जिलों वाले 2 संभाग (जयपुर व अजमेर) है ।
- 6 जिलों वाले दो संभाग (भरतपुर व जोधपुर) है।
- 5 जिलों वाला एक संभाग उदयपुर है।
- 4 जिलों वाले 4 संभाग (बीकानेर, सीकर, कोटा और पाली) है।
- 3 जिलों वाला एक संभाग बांसवाड़ा संभाग है ।
- केवल एक संभाग की सीमा को स्पर्श करनें वाला संभाग – बांसवाड़ा
- राज्य के सर्वाधिक 8 संभागों की सीमा को स्पर्श करनें वाला संभाग – अजमेर
- तीन राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग – भरतपुर संभाग
- सर्वाधिक नदियों वाला संभाग – कोटा संभाग
- सर्वाधिक नदियों वाला जिला – उदयपुर
- सर्वाधिक वर्षा एवं आर्द्रता वाला संभाग – कोटा संभाग
- राजस्थान का पूर्वी संभाग – भरतपुर संभाग
- राजस्थान का पश्चिमी संभाग – जोधपुर संभाग

❖ **महत्त्वपूर्ण प्रश्न**

1. राजस्थान दिवस मनाया जाता है ? - 30 मार्च
2. मत्स्य संघ का प्रशासन् राजस्थान को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया ? – सन् 1949 में 15 मई 1949 को जब मत्स्य संघ का विलय संयक्त वृहत राजस्थान में किया गया।
3. राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया? - 1 नवम्बर 1956
4. वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे? – हीरा लाल शास्त्री
5. कितनी रियासतों और ठिकानों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ ? - 19 रियासतें और 3 ठिकानें
6. 1527 में महाराणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ ? - भरतपुर।
7. महाराणा प्रताप को किसने अपनी संपत्ति प्रदान की? - भामाशाह।
8. दिवेर के युद्ध (अक्टू- 1582) के पश्चात् महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? - चावंड।
9. मेवाड़ के इतिहास में राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी?. पन्नाधाय।
10. अजयराज चौहान संस्थापक थे? – अजमेर के ।
11. महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? – गोगुन्दा में।
12. आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की ? – मिहिर भोज प्रथम (यह गुर्जर प्रतिहार वंश का था)।
13. युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी माँगने पर किस रानी ने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया? –हाड़ी रानी।
14. राजपूतों के किस वंश ने जयपुर पर शासन् किया? - कच्छवाहा।
15. ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती थी? – आहड़ की सभ्यता।
16. कालीबंगा कहा स्थित है ? – हनुमानगढ़।
17. मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर मिलें हैं? – विराटनगर जयपुर।
18. पाक सिन्धु सभ्यता व सिन्धु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? – कालीबंगा से
19. प्राचीन हड़प्पा स्तरों में एक ही खेत में साथ - साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ हैं? – कालीबंगा से।
20. राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिलते हैं? – विराटनगर जयपुर।
21. राजस्थान में बौद्ध धर्म केमठ कहाँ मिले हैं? –विराट नगर जयपुर।
22. राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? - बीकानेर।
23. एनाल्स एंड एंटीक्विटिस ऑफ राजस्थान किसने लिखी थी? – कर्नल जेम्स टॉड ने।
24. जेम्स टॉड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? – पश्चिमी राजस्थान स्टेट का।

- ***बिजासन की पहाड़ी*** – भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तक का पठारी क्षेत्र
- ***कालीखोह पर्वत श्रृंखला*** – जयपुर से आगरा तक विस्तृत पहाड़ियाँ ।
- ***मानदेसरा का पठार*** – इस पठार पर चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य स्थित है।
- ***मेसा का पठार*** – इस पठार की ऊँचाई 620 मीटर है। यह पठार चित्तौड़गढ़ जिलें में स्थित है। इस पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है।
- ***क्रासका का पठार – व कांकनबाड़ी का पठार – यह*** पठार अलवर जिले में स्थित है। इन दोनों पठारों पर सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है।

नोटः – कर्नल जेम्स टॉड ने कालीखोह पर्वत श्रृंखला को मीणा जनजाति का आदिम स्थान बताया है क्योंकि यह क्षेत्र में मीणा जनजाति अधिकांश मात्रा में निवास करती है

राज्य की प्रमुख पर्वत चोटियाँ –

पर्वत चोटियों के नाम		**जिला**
गुरुशिखर पर्वत चोटी	-	सिरोही (1722 मीटर)
सेर पर्वत चोटी	-	सिरोही (1597 मीटर)
दिलवाड़ा पर्वत चोटी	-	सिरोही (1442 मीटर)
जरगा चोटी	-	उदयपुर (1431 मीटर)
धौलिया डूंगर	-	उदयपुर (1183 मीटर)
जेलिया डूंगर	-	उदयपुर (1166 मीटर)
जयराज पहाड़ी	-	सिरोही (1090 मीटर)
कामन मगरा चोटी	-	उदयपुर (989 मीटर)
बांकी का मगरा	-	उदयपुर (849 मीटर)
दुसानिया	-	उदयपुर (957 मीटर)
सज्जनगढ़	-	उदयपुर (938 मीटर)
नागपाणी	-	उदयपुर
ऋषिकेश चोटी	-	सिरोही (1017 मीटर)
अचलगढ़ पर्वत श्रृंखला	-	सिरोही (1380 मीटर)
टोडगढ़	-	ब्यावर (934 मीटर)
लोहार्गल पर्वत चोटी	-	(नवलगढ़) झुंझुनूं
भोजगढ़ पर्वत चोटी	-	नीमकाथाना
बबाई पहाड़ी	-	नीमकाथाना
अथवाड़ा पर्वत चोटी	-	झुंझुनूं (840 मीटर)
हर्ष पहाड़ी	-	सीकर
कमलनाथ पर्वत चोटी	-	उदयपुर
मालखेत की पहाड़ियाँ	-	सीकर
रघुनाथगढ़ पहाड़ियाँ	-	सीकर
कुंभलगढ़ पहाड़ियाँ	-	राजसमंद
भैराज चोटी	-	अलवर
खो पहाड़ी	-	जयपुर ग्रामीण
बैराठ पहाड़ी	-	कोटपूतली-बहरोड़
तारागढ़ पहाड़ी	-	अजमेर
नागपहाड़ी	-	अजमेर

पूर्वी मैदानी भाग

- पूर्वी मैदानी भाग के बारे में जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला के पूर्व में नदियों के प्रवाह वाला क्षेत्र है।
- जब नदियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल का प्रवाह करती हैं तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़ पत्थर, इत्यादि लेकर जाती है और धीमी प्रभाव वाले क्षेत्र में जमा कर देती हैं और इसी प्रकार इन सभी से मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है ।
- इसी प्रकार ***अरावली के पूर्व में नदियों के प्रवाह के द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदानी भाग को "पूर्वी मैदानी भाग" के नाम*** से जाना जाता है इसलिए इस क्षेत्र में ***दोमट / जलोढ़ / कछारी मिट्टी अधिकांश मात्रा में पाई जाती है।***

इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र में राज्य के निम्नलिखित जिले आते हैं -

जयपुर, दौसा, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, करौली, गंगापुरसिटी, प्रतापगढ़, सलूम्बर, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर।

पूर्वी मैदानी भाग राज्य के कुल हिस्से का ***23.3% भाग*** बनाता है अर्थात् कुल राजस्थान के क्षेत्रफल के ***23.3%*** हिस्से पर पूर्वी मैदानी भाग है जिस पर राज्य की ***कुल जनसंख्या का 39% हिस्सा निवास करता है ।***

चूंकि ***जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ*** होती है इसलिए पूर्वी मैदानी भाग में निवास करने वाली 39% जनसंख्या में से अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है । इस क्षेत्र में ***50 सेमी. से 80 सेमी. मीटर तक वर्षा*** होती है।

चम्बल – 965 / 966 किमी, बनास – 480 किमी, माही- 576 किमी, बाणगंगा- 380 किमी, लूणी- 350 किमी,

नोट – अगर प्रश्न पत्र में विकल्प में पुराने आंकड़े पूछे गये हो तो उपरोक्त आंकड़ो को भी ध्यान में रखें।

राजस्थान में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर-

1. हनुमानगढ़ (राजस्थान)-

- राजस्थान का हनुमानगढ़ घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है ।

2. कोटा (राजस्थान)-

- राजस्थान का कोटा चम्बल नदी के किनारे बसा हुआ है।

3. चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)-

- राजस्थान का चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है।

4. टोंक (राजस्थान)-

- राजस्थान का टोंक बनास नदी के किनारे बसा हुआ है।

5. झालावाड़ (राजस्थान)-

- राजस्थान का झालावाड़ कालीसिंध नदी के किनारे बसा हुआ है।

6. गुलाबपुरा (राजस्थान)-

- राजस्थान का गुलाबपुरा खारी नदी के किनारे बसा हुआ है।

7. जालौर (राजस्थान)-

- राजस्थान का जालौर सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है।

8. अनुपगढ़ (राजस्थान)-

- राजस्थान का अनुपगढ़ जिला घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है।

9. नाथद्वारा (राजसमंद, राजस्थान)-

- राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले का नाथद्वारा बनास नदी के किनारे बसा हुआ है।

10. भीलवाड़ा (राजस्थान)-

- राजस्थान का भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है।

11. विजयनगर (राजस्थान)-

- राजस्थान का विजयनगर खारी नदी के किनारे बसा हुआ है ।

12. सूरतगढ़ (राजस्थान)-

- राजस्थान का सूरतगढ़ घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है।

13. पाली (राजस्थान)-

- राजस्थान का **पाली नगर बांडी नदी के** किनारे बसा हुआ है।

14. सुमेरपुर (पाली, राजस्थान)-

- राजस्थान राज्य के पाली जिले का सुमेरपुर नगर जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है।

15. आसींद (भीलवाड़ा, राजस्थान)-

- राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले का आसींद खारी नदी के किनारे बसा हुआ है।

16. सवाई माधोपुर (राजस्थान)-

- राजस्थान का सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे बसा हुआ है।

17. बालोतरा (राजस्थान)-

- **बालोतरा जिला लूनी नदी के किनारे** बसा हुआ है।

18. नीमकाथाना (राजस्थान)-

- नीमकाथाना जिला कान्तली नदी के किनारे बसा हुआ है।

शोर्ट ट्रिक्स :- नदी के तट पर बसे हुए राजस्थान के शहर

सूत्र	नदी	स्थान
चमको	चम्बल	कोटा
कला झुला	कालीसिंध	झालावाड़
जवा सुमेरपाल	जवाई	सुमेलपुर (पाली)
बड़ा है चित्ता	बेड़च	चित्तौड़गढ़
खा आ भील	खारी	आसींद (भीलवाड़ा)
बाल हैं लम्बे	लूनी	बालोतरा

जिला	नदियों के नाम
अजमेर	डाई, लूनी
उदयपुर	सोम, साबरमती, बेड़च, बाकली
अलवर	साबी, गौरी, सोटा, काली, रूपारेल
श्रीगंगानगर	घग्घर
कोटा	(चंबल, पार्वती, कालीसिंध, परवन, निवाज)
चित्तौड़गढ़	(बनास, बामनी, बेड़च, बागन, बागली, औराई, सीबना, गंभीरी)
चूरू	**कोई नदी नहीं है**

ग्रीष्म ऋतु में आने वाले प्रमुख स्थानीय तूफान

1. **काल बैसाखी :**

- पश्चिम बंगाल और असम में वैशाख माह में शाम के समय चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें जो अपनी कुख्यात प्रकृति के लिए जानी जाती है।
- इनके आने से भयंकर तबाही होती है। इसलिए इसे काल बैसाखी कहा जाता है। असम में इसे बारदोली छीड़ा कहते हैं। जो चाय, पटसन, चावल की खेती के लिए लाभदायक है ।

2. **आम्र वर्षाः** - वर्षा ऋतु से पूर्व कर्नाटक व केरल के तटीय भागों में होने वाली वर्षा जो आम की खेती के लिए लाभदायक है। इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं।

3. **फूलों वाली वर्षाः** - वर्षा ऋतु पूर्व केरल में होने वाली वर्षा जो कहवा की खेती के लिए लाभदायक है। अतः वर्षा के कारण कहवा के फूल खिलने लगते हैं । इसलिए इसे फूलों वाली वर्षा कहते हैं।

4. **लूः** ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय चलने वाली **गर्म, शुष्क व पीड़ा दायक पवनों को लू कहा जाता है। जो उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं।**

2. **वर्षा ऋतु (मध्य जून से सितम्बर)**

- **राजस्थान में लगभग 90% वृष्टि / वर्षा जुलाई से सितम्बर के दौरान होती है।** राजस्थान में अधिकांश वर्षा 'मानसून' से होती है।
- राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण-पश्चिमी से उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ती है, लेकिन **राजस्थान में उत्तर-पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है।**
- मानसूनी पवनें वह मौसमी पवनें होती हैं जो वर्ष में दो बार क्रमिक रूप से अपना मार्ग बदलती है। यह मानसून 2 प्रकार का होता है-

उच्च वायुदाब

1. **ग्रीष्मकालीन मानसून (दक्षिण-पश्चिम मानसून)**-

- मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर बहती है क्योंकि गर्मियों में सूर्य उत्तरी गोलार्द्ध में सीधा चमकता है ।
- अतः सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण 'तिब्बत का पठार' अत्यन्त गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ निम्न वायुदाब का केन्द्र बन जाता है।
- जबकि दक्षिण गोलार्द्ध में स्थित हिन्द महासागर में सूर्य की किरणों के तिरछा पड़ने के कारण हिन्द महासागर में उच्च वायुदाब का केन्द्र बनता है और फेरल के नियम के अनुसार हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती है।
- इसी कारण हिन्द महासागर से हवाएँ आर्द्रता लेते हुए तिब्बत के पठार की ओर चलने लगती है। दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने के कारण इसे 'दक्षिण-पश्चिम का मानसून' भी कहते हैं ।
- ये पवनें मार्ग में पड़ने वाले बादलों को धकेलकर भारत में प्रवेश करती हैं।
- **ध्यातव्य रहे -** मानसूनी हवाएँ हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं, तो वहीं मानसून के द्वारा किसी एक स्थान पर वर्षा हो जाने पर उसी स्थान पर होने वाली अगली वर्षा के मध्य का समय अनिश्चित होता है, जिसे **मानसून की विभंगता** कहा है जाता है।

बादलों के प्राप्ति स्थान के आधार पर इसकी दो शाखाएँ होती हैं-

(i) **अरब सागर की शाखा-**

- प्रत्येक वर्ष लगभग 1 - 5 जून मध्य केरल के तट से अरब सागर के बादल भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं । यहाँ से उत्तर में जाने पर मानसून प्रवेश की तिथि बढ़ती है जबकि वर्षा की मात्रा घटती जाती है।
- **राजस्थान में अरब सागर के कुछ बादल गुजरात के रास्ते लगभग 15 - 20 जून के मध्य 'बाँसवाड़ा' (राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार) जिले से प्रवेश करते हैं ।**
- अरब सागर के ये बादल **अरावली पर्वत के समानांतर होने के कारण राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं कर पाते** और अरब सागर की शाखाएँ पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिम में स्थित मालाबार तट, कोंकण तट, सौराष्ट्र तट की ओर बारिश करती हुई आगे बढ़ती हैं।
- ये मानसूनी पवनें आगे जाकर हिमालय पर्वत से टकराकर जम्मू - कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड आदि स्थानों पर बारिश करती हैं, वहाँ से यह शाखा वापस टकराकर लौटने के बाद राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में इन पवनों से बारिश होती है।
- अरब सागर की कुछ शाखाएँ दक्षिणी अरावली से टकराकर उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा क्षेत्र में बारिश करती हैं।
- राजस्थान का दक्षिणतम भाग अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है।

(ii) **बंगाल की खाड़ी की शाखा** -

- बंगाल की खाड़ी की शाखा भारत के उत्तरी - पूर्वी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती है और हिमालय से टकराकर असम, मेघालय, बिहार, ओड़िशा आदि पूर्वी व उत्तरी - पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश करती है।
- भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मॉसिनराम इसी क्षेत्र में आता है।
- जब ये शाखाएँ हिमालय से टकराकर बारिश करती है तो अफगानिस्तान की तरफ कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है।
- इसी कारण मानसूनी पवनें पश्चिम की ओर अग्रसर होती है तथा राजस्थान के अधिकांश भाग में वर्षा करती है।
- **बंगाल की खाड़ी के मानसून से छोटा नागपुर के पठार की शाखा सर्वप्रथम राज्य के हाड़ौती क्षेत्र में प्रवेश करती है।**
- **राजस्थान में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है।**

- बंगाल की खाड़ी का मानसून राज्य में पूर्व की दिशा से आता है, इसी कारण इस मानसूनी हवा को 'पुरवाई/ पुरवैया' कहते हैं।

2. **सर्दियों का मानसून** –
- सर्दियों में सूर्य दक्षिण गोलार्द्ध में सीधा चमकता है अतः तिब्बत के पठार पर उच्च वायुदाब का केन्द्र एवं हिन्द महासागर में निम्न वायुदाब का केन्द्र बन जाता है और पवनें पठार से महासागर की ओर उत्तर पूर्व दिशा से चलना प्रारम्भ कर देती हैं, इसी कारण इसे 'उत्तरी - पूर्वी मानसून' भी कहते हैं।
- **लेकिन ये पवनें महाद्वीपीय शुष्क पवनें होने के कारण राजस्थान में कहीं भी वर्षा नहीं कर पाती हैं।**

राजस्थान में जिलानुसार औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा

जिला	औसत वर्षा (सेमी.)
झालावाड़	**100**
बाँसवाड़ा	84.00
बारां	87.38
कोटा	73.2
चित्तौड़गढ़	84.15
बूंदी	77.34
डूंगरपुर	72.89
धौलपुर	74.45
भीलवाड़ा	68.32
सवाई माधोपुर	87.34
करौली	67.03
भरतपुर	66.39
सिरोही	59.12.
राजसमंद	56.78
उदयपुर	64.50
टोंक	66.83
अलवर	65.71
जयपुर	56.38
दौसा	56.10
अजमेर	60.18
पाली	**42.44**
सीकर	44.03
झुंझुनूं	40.51
जालौर	37.00
नागौर	31.17
चुरु	35.47
जोधपुर	31.37
बाड़मेर	26.57
बीकानेर	24.30
श्रीगंगागनर	22.64
हनुमानगढ़	27.35
जैसलमेर	**13.55**
प्रतापगढ़	86.12
राजस्थान	**57.51**

ला-नीना व अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव

- **अल-नीनो प्रभाव:** अल नीनो शब्द का स्पेनिश भाषा में अर्थ है -**क्राइस्ट शिशु** (जीसस के जन्म के आस-पास उत्पन्न होने वाला प्रभाव) तथा सागरीय बुखार कहा जाता है। अल-नीनो प्रभाव सामान्यतया दक्षिण एवं मध्य ऑस्ट्रेलिया के समुद्री किनारों पर देखने को मिलता है, जिसमें समुद्र की धाराओं में अत्यंत उतार-चढ़ाव मिलने के कारण **समुद्र का पानी असमान समुद्र से गर्म हो जाता है।**
- अलनीनो प्रभाव के कारण मौसम में असमान रूप से परिवर्तन आता है, जिसके फलस्वरूप दक्षिणी अमेरिका एवं पेरू के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में सूखा पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया में झाड़ियों में आग लगने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। जिसे बुशफायर कहते हैं।
- यह एक गर्म जलधारा है । इसकी स्थिति पूर्वी प्रशान्त महासागर में 3° दक्षिणी अक्षांश से 24° दक्षिणी अक्षांश के मध्य है।
- यह दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में प्रभावी होती है।
- अलनीनों के कारण भारत में मानसून देरी से आता है तथा कम प्रभावशाली होता है।

  ला-नीनो: अलनीनो की समाप्ति के बाद पश्चिमी प्रशांत महासागर के उसी स्थल पर जब **ठण्डे पानी की जलधारा** प्रवाहित होने लगे, तो इस प्रभाव को ला-नीनो कहते हैं।
- यह एक ठण्डी जलधारा है। यह दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में प्रभावी होती है।
- इसके कारण भारत में मानसून समय पर आता है तथा अधिक प्रभावशाली होता है।
- ला-नीनो को अल-नीनो की "छोटी बहन" पर कहा जाता है।

3. **शीत ऋतु (अक्टूबर से फरवरी तक)**
- **राजस्थान में वास्तविक शीत ऋतु का समय मध्य दिसम्बर से फरवरी के अंत** तक रहता है। शीत ऋतु को मौसम विभाग ने दो भागों में बाँटा है-

  (i) मानसून प्रत्यावर्तन का काल / लौटते हुए मानसून की ऋतु

  (ii) शीत ऋतु

राज्य के शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु यह मिशन शुरू किया गया। फिलहाल भरतपुर व सीकर जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल रोजगार योजना, 2012

- वर्ष 2012-13 में राज्य के शहरी बीपीएल परिवारों के एक लाख युवाओं को प्रतिवर्ष RMOL द्वारा कौशल प्रशिक्षण देकर, प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से 8 माह का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जा रहा है।
- स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिलवाया जा रहा है।
- ऋण पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
- प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण उपरान्त उनके लिए रोजगार सुनिश्चित किया गया है एवं राज्य में न्यूनतम वेतन ₹ 5000 एवं राज्य के बाहर न्यूनतम वेतन ₹7500 है।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका - मिशन (DAY NULM)

- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में पुनर्गठित (Restructured) कर इसका नाम "दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन [Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY NULM)]" कर दिया गया है, जिसमें मुख्य बिन्दु/बातें निम्नानुसार हैं:
- DAY NULM में केन्द्र व राज्य का अंश क्रमशः 75 प्रतिशत व 25 प्रतिशत था, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा 60:40 कर दिया गया है।
- राज्य में Day Nulm का क्रियान्वयन प्रथम चरण में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 से राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 1 लाख या अधिक आबादी वाले सभी 7 शहरों (किशनगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, हिण्डोनसिटी, गंगापुरसिटी, सुजानगढ़ व मकराना) सहित कुल 40 नगर निकायों में किया जा रहा है। जो वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य की सभी नगर निकायों में प्रारंभ कर दिया गया है।
- Day Nulm में भी SJSRY की भांति सिर्फ बीपीएल चयनित परिवारों को ही लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है, लेकिन Day Nulm में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 द्वारा बीपीएल सूची के अलावा स्टेट बीपीएल सूची व अन्त्योदय सूची में सम्मिलित परिवार तथा ऐसे शहरी गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय रु. 3 लाख तक है, को भी Day Nulm के अंतर्गत लाभांवित करने का निर्णय लिया है।
- घटक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सी.बी. एवं टी.)। सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास (एस. एम. एवं आई.डी)। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार व प्लेसमेंट (ई.एस.टी. एवं पी.)। स्वरोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.)। शहरी सड़क वेन्डर के लिए समर्थन (एस.यू. एस. वी.)। शहरी बेघरों के आश्रय के लिए योजना (एस.यू. एच.) ।

राजस्थान में विभिन्न सड़क योजनाएं

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

राष्ट्रीयराजमार्ग विकास परियोजना(एनएचडीपी) का प्रारंभ भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा 1999-2000 में किया गया। इसको वित्त सहायता केन्द्रीय सड़क निधि, विश्व बैंक, एशियाई बैंक व जेबीआईसी(जापान) द्वारा की गई। इस परियोजना के प्रथम चरण को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। परियोजना के द्वितीय चरण(1) को पूर्व-पश्चिम कोरिडोर के नाम से जाना जाता है। परियोजना के द्वितिय चरण(2) को उत्तर-दक्षिण कोरिडोर के नाम से जाना जाता है। परियोजना के तीसरे चरण में 4 लेन व चौथे चरण में 2 लेन राजमार्गो को निर्माण किया गया।

इस परियोजना के पांचवें चरण में प्रथम चरण(स्वर्णिम चतुर्भुज योजना) के सड़क मार्ग को 4 से 6 लेन करने की योजना है। इसके छठे चरण के तहत एक्सप्रेस वे का निर्माण करने की योजना है।। राजस्थान का पहला छः लेन एक्सप्रेस हाइवे जयपुर-किशनगढ़ है। इस परियोजन के सप्तम चरण के तहत रिंग रोड़, बाईपास फ्लाईओवर आदि का निर्माण किया जाना है।

योजना मार्ग में आने वाले जिले

1. स्वर्णिम चतुर्भुज योजना - अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व डूंगरपुर
2. पूर्व - पश्चिमी कोरीडोर सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी व बारां
3. उत्तर - दक्षिण कोरीडोर धौलपुर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

25 दिसंबर 2000 को प्रारम्भ इस योजना के अंतर्गत राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत सड़कों का विकास व निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 से इस योजना में 60 प्रतिशत निधि केन्द्रीय सरकार व 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपब्ध कराई जाएगी। इससे पूर्व 100प्रतिशत निधि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी।

मुख्यमंत्री सड़क योजना

यह योजना 7 अक्टूबर, 2005 को शुरू की गई। इस योजना में मुख्य धार्मिक व पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु सड़कों का निर्माण कराया जाएगा व प्रत्येक जिले में एक आदर्श सड़क का निर्माण करवाया जाएगा।

चेतक परियोजना

यह देश के सीमावर्ती इलाकों (बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर) में सामरिक महत्व की सीमावर्ती सड़कें बनाने की

सीमा सड़क संगठन (स्थापना 1960, मुख्यालय नई दिल्ली) की परियोजना है।

मिसिंग लिंक परियोजना

राजस्थान में सड़कों के मध्य छुटे हुए कई हिस्सों को पूर्ण करने की योजना 2007-08 में प्रारम्भ की गई।

हरित सड़क योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में हरित सड़क योजना के तहत राज्य में राज्य और जिला मार्गो को चौड़ा किया जाएगा व किनारे पर पेड़ लागाये जाएंगे।

ग्रामीण गौरव पथ योजना

- वर्ष 2014-15 में प्रारम्भ इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर 0.5 से 2 किमी. लंबी सड़क का निर्माण 'ग्रामीण गौरव पथ' के रूप में मय नाली किया जाएगा।
- सितम्बर, 2019 में आयोजित एस.डी.जी. के शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं ने सतत् विकास गोल्स को अर्जित करने में 10 वर्ष से भी कम समय शेष होने पर इस अवधि को एस. डी. जी. को प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले प्रयासों में तेजी लाने वाले कार्रवाई दशक (Decade of Action) के रूप में घोषित किया है।
- भारत भी कार्रवाई दशक के पथ पर आगे बढ़ा है और एस. डी. जी. के सिद्धान्तों एवं लक्ष्यों (Targets) को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है। नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ-साथ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर (Horizontal and Vertical) नीतिगत सुसंगतता सुनिश्चित करने हेतु एस.डी. जी. के समग्र समन्वय एवं मॉनिटरिंग के लिए लगातार मार्गदर्शन किया जा रहा है।
- जुलाई 2020 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में द्वितीय स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (Voluntary National Review VNR) प्रस्तुत की गई।
- राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के वर्जन 3.1 में 295 संकेतक (Indicator) सम्मिलित किये गये हैं।

नीति आयोग द्वारा जारी एस. डी. जी. इंडिया इंडेक्स एवं डेशबोर्ड के तृतीय संस्करण में भारत के समय स्कोर में सुधार हुआ है। यह वर्ष 2019-20 के 60 से बढकर वर्ष 2020-21 में 66 हो गया है जो कि एस. डी. जी. को अर्जित करने में राष्ट्र के समग्र रूप से आगे बढ़ने को इंगित करता है। राजस्थान ने भी अपने एस. डी. जी. समग्र स्कोर में सुधार किया है। यह वर्ष 2019-20 के 57 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 60 हो गया है।

राजस्थान ने राज्य एवं जिला स्तर पर एस. डी. जी. की उपलब्धियों की प्रगति को मॉनिटर करने के लिये राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (State Indicator Framework-SIF) और जिला संकेतक फ्रेमवर्क (Disance Indicator Framework DIF) जारी किया है

एक दृष्टि में

1. राजकोषीय संकेतक

वर्ष 2020-21 में कुल व्यय का 68.80 प्रतिशत विकासात्मक व्यय

2. स्कीमवार परिव्यय (2021-22)

परिव्यय : ₹1,32,251.35 करोड़

सर्वाधिक आवंटन : सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं (52.19 प्रतिशत)

3. बाह्य सहायतित परियोजनाएं

कुल ₹27,196.37 करोड़ की 13 बाह्य सहायतित परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है एवं 2 परियोजनाएं जून एवं सितम्बर, 2021 में पूर्ण हो गई हैं।

4. सार्वजनिक निजी सहभागिता

₹16,796.11 करोड़ की निवेश राशि की 187 सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाएं 31 दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण हो चुकी हैं।

▪ मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1. राजस्व प्राप्तियां	109026	127307	137873	140114	134308
(i) स्वयं का कर राजस्व	44372	50605	57380	59245	60283
(ii) कर भिन्न राजस्व	11615	15734	18603	15714	13653
(iii) केन्द्रीय करों में हिस्सा	33556	37028	41853	36049	35576
(iv) केन्द्रीय सहायता	19483	23940	20037	29106	24796
2. गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां	1741	15150	15178	15690	388
इसमें से उदय योजनान्तर्गत व्यय		15000	15000	14722	0
3. कुल प्राप्तियां (राजस्व + गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां)	110767	142457	153051	155804	134696
4. कुल व्यय	157085	167799	187524	193458	194071
इसमें से उदय योजनान्तर्गत व्यय	22372	145841	166773	176485	178310
(i) राजस्व व्यय	127140	145841	166773	176485	178310

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

UP Police Constable 2024 - http://surl.li/rbfyn (98 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856WI8&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

FREE SAMPLE

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 483+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
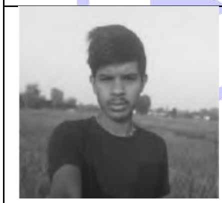	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel	Rac batalian	729141135	Dis.-Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota
	Sanjay	Haryana PCS	96379	Jind (Haryana)

And many others……

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

WhatsApp करें - https://wa.link/we22vv

Online Order करें - https://shorturl.at/tDOY8

Call करें - 9887809083